IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(54)पट्टाअभि / विधि / पंरा / 2017 / **892** जयपुर, दिनांकः**30.6.2017**

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त ।

विषयः– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आज दिनांक 30.06.2017 को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इस अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रदान किये गये निर्देशों की पालना में आपसे अपेक्षा है कि आप अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

शिविर आयोजित होने के दिवस की पूर्व संध्या तक पंचायती राज एवं राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आवश्यक रूप से पहुँच जाए तथा शिविर दिवस को प्रातः 9:30 बजे शिविर स्थल पर पहुँचकर कार्य आरम्भ कर लें। यहॉ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शिविर में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा व्यक्तिशः जाकर शिविर आयोजन की कार्यवाही का निरीक्षण किया जाए।

जिन जिलों में निस्तारण करने हेतु काफी संख्या में आवेदन / प्रकरण लम्बित है, वहॉ फॉलो अप शिविर भी आयोजित किये जाकर, लम्बित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये।

30.6.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः
1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज ।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त।

30/6

उप शासन सचिव(विधि)